

29/04/2024

पत्रावली वेश हुई। उभयपक्ष हाथिए  
नहीं आये हैं। पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। अवलोकन किये जाने पर  
प्रतीत होता है कि प्रकरण अनावश्यक  
रूप से वर्षों से लंबित है, अतः  
प्रकरण चलाने योग्य प्रतीत नहीं  
होता है। अतः प्रकरण अदम्य हाथिए  
व. अदम्य बैरबी में अंतर्गत 0-9, R-3  
जांच की के तहत खारीज किया जाता  
है। पत्रावली में प्रस्तुत धारणा एवं बायब  
सुफसात अंतर्गत 0-9, R-3 CPC के तहत  
खारीज किया जाता है। पत्रावली फॉल्ल  
सुभार वॉकर काकू वरमोल हाथिएल  
दुपतर है। विशेष सुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

गणराज्य अधिकारी  
उपरवर्तक  
संभवतः

